सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना
Member of Parliament Local Area Development Scheme

डी. साई बाबा
निदेशक
D. Sai Baba
Director
TEL : 23344933
FAX : 23364197

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
211, सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली -110001
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF STATISTICS & PROGRAMME IMPLEMENTATION
211, SARDAR PATEL BHAVAN, NEW DELHI-110001

फा.सं.सी-23/2011-एमपीलैड्स

Dated 03.09.2014

सेवा में,

1. आयुक्त,
   कोलकाता/चेन्नई/दिल्ली नगर निगम
2. सभी जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त

विषयः सांसद के निर्वाचन क्षेत्र से बाहर अथवा उसके राज्य/संघ राज्यक्षेत्र से बाहर के किसी क्षेत्र के लिए एमपीलैड्स निधियों का अंशदान ।

महोदय,

मंत्रालय को सांसद के निर्वाचन क्षेत्र से बाहर अथवा उसके राज्य/संघ राज्यक्षेत्र से बाहर के किसी क्षेत्र के लिए एमपीलैड्स निधियों के अंशदान को प्रतिवर्ष 10 लाख रुपए की वर्तमान सीमा को बढ़ाने के लिए सांसदों से सुझाव प्राप्त हुए हैं ।

2. 10 लाख रुपए की अधिकतम सीमा जून 2011 में उस समय निर्धारित की गई थी जब सांसदों को प्रतिवर्ष 2 करोड़ रुपए की पात्रता थी । चूंकि वार्षिक पात्रता बढ़ाकर प्रतिवर्ष 5 करोड़ रुपए कर दी गई है । तदनुसार, सांसद के निर्वाचन क्षेत्र से बाहर अथवा उसके राज्य/संघ राज्यक्षेत्र से बाहर के किसी क्षेत्र के लिए एमपीलैड्स निधियों के अंशदान की वार्षिक सीमा 25 लाख रुपए तक बढ़ाने के लिए एमपीलैड्स संबंधी दिशानिर्देशों के पैरा 2.9 में संशोधन करने का निर्णय लिया गया है ।

3. एमपीलैड्स संबंधी दिशानिर्देशों का पैरा 2.9 नीचे दिए गए अनुसार संशोधित किया जाता है:

"2.9 **सांसद के निर्वाचन क्षेत्र के बाहर अथवा उसके राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के बाहर स्थित किसी क्षेत्र को एमपीलैड्स निधियों का अंशदान:** "यदि कोई निर्वाचित सांसद यह महसूस करता है कि उसके राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के बाहर अथवा राज्य के भीतर उसके निर्वाचन क्षेत्र के बाहर स्थित किसी क्षेत्र को, अथवा दोनों ही मामलों में, एमपीलैड्स निधियों से अंशदान दिए जाने की आवश्यकता है, तो उक्त सांसद इन दिशानिर्देशों के तहत एक वित्त वर्ष में अधिकतम 25 लाख रुपए तक के पात्र कार्यों की अनुशंसा कर सकता है । किसी सांसद की ओर से की गई ऐसी कार्रवाई से जमीनी स्तर पर राष्ट्रीय एकता, सामंजस्य एवं भ्रातृत्व की भावना को

प्रोत्साहन मिलेगा । ऐसे मामलों में, नोडल जिला प्राधिकारी दिशानिर्देशों के अंतर्गत उसे प्रदान किए गए समन्वयन एवं अन्य कार्यकलापों के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा । कार्यान्वयन करने वाले जिला प्राधिकारी द्वारा ऐसे कार्यों से संबंधित कार्य समापन रिपोर्ट, उपयोग प्रमाणपत्र और लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र, संबंधित नोडल जिला प्राधिकारी को उपलब्ध करवाए जाएंगे जिससे निधियां प्राप्त हुई हैं ।"

"**2.9.1** बशर्ते कि निर्वाचन क्षेत्र/राज्य से बाहर के क्षेत्र हेतु अंशदान न्यासों/सोसाइटियों तथा सहकारी समितियों के लिए अनुमत्य न हो ।"

4. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है ।

भवदीय,

(डी. साईबाबा)
निदेशक (एमपीलैड्स)

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

1. सभी माननीय संसद सदस्य (लोक सभा/राज्य सभा) ।
2. एमपीलैड्स से संबंधित नोडल विभागों के सचिव (सभी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र) ।
3. एमपीलैड्स संबंधी राज्य सभा समिति, राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
4. एमपीलैड्स संबंधी लोक सभा समिति, लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
5. एमपीलैड्स प्रभाग में सभी संबंधित अधिकारी ।
6. एनआईसी को एमपीलैड्स वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए ।